रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1972/माघ 4, 1893
No. 48] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1972/MAGHA 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th January 1972

S.O. 64(E).—Whereas the manufacturers of motor cars have in pursuance of the undertaking given to the Hon'ble Supreme Court furnished the necessary details and the relevant data to the Central Government for re-fixing the prices of the motor car manufactured by them;

And whereas, after consideration of the said details and data, the Central Government has, in accordance with the recommendations of the Car Prices Enquiry Commission as modified by the Supreme Court, determined the prices at which the motor cars manufactured by the said manufacturers shall be bought and sold;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Amendment) Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE I

Name of Manufacturer	Description of Motor Cars.	Price
1. M/s. Hindustan Motors Limited, Uttarpara, District Hooghly (West Bengal).	Ambassador.	16,946
2. M/s. Premier Automobile Limited, Construction House, Ballard Estate, Bombay.	Fiat '1100-D'	15.946
3. M/s. Standard Motor Products of India Limited, 29, Mount Road, Madras.	Standard Herald.	16,539

Explanation 1.—The prices specified above are ex-factory prices, inclusive of dealers commission and do not include Excise duties, Central Sales Tax and local taxes, if any, and transportation charges.

2. The prices specified above are liable to be increased or decreased in accordance with the provision relating to escalation and de-escalation, contained in the judgment of the Supreme Court in Writ Petitions No. 327, 330, 331, 486 and 487 of 1969."

[No. F. 5(26)/71-A.E.Ind.(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1972

का० आ० 64(अ).—यत: माननीय उच्चतम न्यायालय को दिए गए वचन के अनुसरण में मोटर कार के विनिर्माताओं ने उनके द्वारा विनिर्मित मोटर कारों की कीमतें पुन.नियत करने के लिए आवश्यक ब्यौरे और सुसंगत आंकड़े केन्द्रीय सरकार को दे दिए हैं ;

और यत: उक्त ब्यौरे और आंकड़ों पर विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने, कार कीमत जांच आयोग की उच्चतम न्यायालय द्वारा यथाउपान्तरित सिफारिशों के अनुसार वे कीमतें अवधारित की हैं जिनपर उक्त विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित मोटर कारें खरीदी और बेची जाएंगी ;

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :

1. (1) यह आदेश मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में अनुसूची I के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची I

निर्माता का नाम	मोटर कार का विवरण	कीमत
1. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तरपारा, जिला हुगली, (वैस्ट बंगाल) ।	एम्बैसेडर	16,946 रु०
2. मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, कान्स्ट्रक्शन हाउस, बैलर्ड एस्टेट, बम्बई ।	फियट 1100—डी	15,946 रु०
3. मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड, 29, माउंट रोड, मद्रास ।	टैस्टर्ड हैरल्ड	16,539 रु०

स्पष्टीकरण 1. ऊपर विनिर्दिष्ट कीमतें कारखाना द्वारा कीमतें है, इनमें व्यवहारी का कमीशन सम्मिलित है और उत्पाद-शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर और स्थानीय कर, यदि कोई हो, तथा परिवहन प्रभार सम्मिलित नहीं है ।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट कीमत 1969 की रिट पिटीशन सं० 327, 330, 331, 486 और 487 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अन्तर्विष्ट उन उपबंधों के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकेगी जो ऐसे बढ़ाने और घटाने के संबंध में है ।"

[सं० फा० 5(26)/71-ए० ई० इन्ड (I)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972